संख्या–1792/33–3–2021–989/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चन्दौली।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँकः 23 सितम्बर, 2021

विषयः– ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक/एकाउन्टेन्ट कम डाटा इन्ट्री आपरेटर के चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1430/7–पं0रा0/स्था0/2021–22, दिनाँक 13 सितम्बर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत सामान्य श्रेणी/अनारक्षित श्रेणी वाली ग्राम पंचायतों में अन्य वर्गों के कोविड–19 के वारिसानों को लाभ दिया जायेगा अथवा नहीं, के सम्बन्ध में मार्ग निर्देश प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य श्रेणी की ग्राम पंचायतों में कोविड–19 की वजह से हुई मृत्यु का लाभ पंचायत सहायक/एकाउन्टेन्ट कम डाटा इन्ट्री आपरेटर नियुक्ति में सामान्य श्रेणी के ही परिवार को दिया जायेगा। अतः उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक/एकाउन्टेन्ट कम डाटा इन्ट्री आपरेटर के चयन की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

1428

DD (श्री सिंह)

निदेशक
23/9/21

भवदीय,

23.9.21

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–6/940/2021–6/203/2021–22, दिनांक 21.09.2021 के क्रम में।
2. जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, देवरिया, लखनऊ एवं उन्नाव।

श्री ओ०पी० यादव

DD (P) 24/9
24/9/21

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

Scanned with CamScanner